न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 78/2017 अपील

1.नारायण सिंह पुत्र भोम सिंह राजपूत निवासी कुचलवाडा कलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा – रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण सं. 534/2016 निर्णय दिनांक 06.03.2017

उपस्थित –
1. श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषाक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.02.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामलें प्रकरण सं. 534/2016 निर्णय दिनांक 06.03.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुचलवाडा कलां पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 1078 रकबा 0.02 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया हैं, जो कि गे.मु. रास्ता की भूमि हैं। उक्त अतिक्रमी के विरूद्व 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर मौके से अपीलार्थी के बने मकान को अतिक्रमण बताकर अपीलार्थी को बेदखल करने व लगान का 50 गुणा की शास्ती अधिरोपित फरमा दी गयी जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी द्वारा गे.मु. आराजी नम्बर 1078 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म रास्ता पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं, बल्कि वास्तविकता इस प्रकार हैं कि उक्त गे.मु. रास्ते के पास ही अपीलार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी 1086 सटी हुयी हैं तथा उक्त भूमि पर वर्षो से अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं व साथ उक्त भूमि में अपीलार्थी ने अपनी फसल की जानवरों से सुरक्षा व कृषि उपकरण रखने हेतु पक्की चारदीवारी व कमरा बना रखा हैं व वर्षो से चारदीवारी हो रखी हैं व साथ ही चारदीवारी के बाद मौके पर 25 फीट चौड़ा रास्ता विद्यमान हैं व वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत उंचा द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण कर रास्ते का निर्माण कराया गया व साथ ही सड़क के किनारे ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर पक्की नाली का निर्माण भी कर रखा हैं, जिससे

स्पष्ट हैं कि रास्ते की भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्के निर्माण को अतिक्रमण मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । वर्तमान सरपंच व सचिव द्वारा अपीलार्थी की जमीन के गेट के पास मवेशियों के पानी पीने की पो (खेल) बना रखी। वर्तमान सरपंच व सचिव द्वारा मौके पर विद्यमान रास्ते को सी.सी. रोड बनाने हेतु उक्त खेल (पो) को ध्वस्त करने के बारे में कहा, इस पर अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि उक्त खेल (पो) के पास पक्का रोड बन जायेगा तो मवेशियों के पानी पीने की परेशानी होगी। खेल (पो) का उपयोग सार्वजनिक तौर से हो रहा हैं, जिसे तोड़ने से मना कर दिया गया , जिसकी द्वेषतावश उक्त झूठी कार्यवाही पटवार हल्का से मिलकर की गयी । पटवार हल्का द्वारा गे.मु. रास्ता रकबा 0.02 पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने बाबत् आरोप लगाया हैं, जबकि मौके पर रास्ता विद्यमान हैं व ग्रेवल सड़क बनी हुयी हैं व कई वर्षों पूवी इसी रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाकर सरकारी राशि उठायी गयी है व किसी भी आमजन द्वारा रास्ते पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने बाबत् कोई शिकायत नहीं की गयी व पक्का निर्माण भी अपीलार्थी का काफी वर्षो पुराना है सभी ग्रामवासी व आमजन इसी रास्ते का 100 वर्षो से भी अधिक समय से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हैं । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया । पत्रावली पर पटवार हल्का के अलावा अन्य किसी भी गवाह के बयान नहीं हैं। मामलें में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया । इसके पश्चात् न तो साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया व न ही किसी प्रकार की सुनवायी का अवसर दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नही कर जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल फरमायी हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुचलवाडा कलां पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 1078 रकबा 0.02 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया हैं, जो कि गे.मु. रास्ता की भूमि हैं। उक्त अतिक्रमी के विरूद्व 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर मौके से अपीलार्थी के बने मकान को अतिक्रमण बताकर अपीलार्थी को बेदखल करने व लगान का 50 गुणा की शास्ती अधिरोपित फरमा दी गयी जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी द्वारा गे.

मु. आराजी नम्बर 1078 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म रास्ता पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं, बल्कि वास्तविकता इस प्रकार हैं कि उक्त गे.मु. रास्ते के पास ही अपीलार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी 1086 सटी हुयी हैं तथा उक्त भूमि पर वर्षों से अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं व साथ उक्त भूमि में अपीलार्थी ने अपनी फसल की जानवरों से सुरक्षा व कृषि उपकरण रखने हेतु पक्की चारदीवारी व कमरा बना रखा हैं व वर्षों से चारदीवारी हो रखी हैं व साथ ही चारदीवारी के बाद मौके पर 25 फीट चौड़ा रास्ता विद्यमान हैं व वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत उंचा द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण कर रास्ते का निर्माण कराया गया व साथ ही सड़क के किनारे ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर पक्की नाली का निर्माण भी कर रखा हैं, जिससे स्पष्ट हैं कि रास्ते की भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्के निर्माण को अतिक्रमण मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । वर्तमान सरपंच व सचिव द्वारा अपीलार्थी की जमीन के गेट के पास मवेशियों के पानी पीने की पो (खेल) बना रखी। वर्तमान सरपंच व सचिव द्वारा मौके पर विद्यमान रास्ते को सी.सी. रोड बनाने हेतु उक्त खेल (पो) को ध्वस्त करने के बारे में कहा, इस पर अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि उक्त खेल (पो) के पास पक्का रोड बन जायेगा तो मवेशियों के पानी पीने की परेशानी होगी। खेल (पो) का उपयोग सार्वजनिक तौर से हो रहा हैं, जिसे तोड़ने से मना कर दिया गया , जिसकी द्वेषतावश उक्त झूठी कार्यवाही पटवार हल्का से मिलकर की गयी । पटवार हल्का द्वारा गे.मु. रास्ता रकबा 0.02 पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने बाबत् आरोप लगाया हैं, जबकि मौके पर रास्ता विद्यमान हैं व ग्रेवल सड़क बनी हुयी हैं व कई वर्षों पूवी इसी रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाकर सरकारी राशि उठायी गयी है व किसी भी आमजन द्वारा रास्ते पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने बाबत् कोई शिकायत नहीं की गयी व पक्का निर्माण भी अपीलार्थी का काफी वर्षों पुराना है सभी ग्रामवासी व आमजन इसी रास्ते का 100 वर्षों से भी अधिक समय से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हैं । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया । पत्रावली पर पटवार हल्का के अलावा अन्य किसी भी गवाह के बयान नहीं हैं। मामलें में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। इसके पश्चात् न तो साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया व न ही किसी प्रकार की सुनवायी का अवसर दिया गया । अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं। अपीलाण्ट का अतिक्रमण गे.मु. रास्ते की भूमि में नहीं हैं। रास्ता मौके पर खुलासा हैं। नक्शे के मुताबिक 18 फिट रास्ता हैं, जबकि मौके पर 22 फिट रास्ता छोड़ा हुआ हैं। पटवारी हल्का उंचा की अतिक्रमण रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक से मौके की जांच रिपोर्ट नहीं ली गयी हैं। अपीलार्थी का मकान सेटलमेण्ट से पूर्व ही बना हुआ हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नही कर जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल फरमायी हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम कुचलवाड़ा कलां पटवार हल्का उंचा के आराजी नं. 1078 रकबा 0.02 बीघा किस्म गे.मु. रास्ता जो कि बिलानाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड से अतिक्रमण स्थल गे.मु. रास्ते की भूमि होकर आर.टी.ए. 1955 की धारा 16 अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि हैं, जिस पर अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थी के नाम नियमन योग्य होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पारित निर्णय अनुसार उक्त आराजियात से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व शास्ति लगान 0.04 का 50 गुणा 02/–रूपये अधिरोपित कर वसूलने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया हैं, जो सही है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम कुचलवाडा कलां पटवार हल्का उंचा के आ.नं. 1078 रकबा 0.02 बीघा किस्म गे. मु. रास्ता जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर अवैध तरीके से मकान निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी अपीलार्थी के विरूद्व पटवारी हल्का उंचा ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 21.09.2016 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये । अतिक्रमी द्वारा दिनांक 05. 10.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया । इसके पश्चात् अपीलार्थी अतिक्रमी को दिनांक 17.10.2016, 24.10.2016, 15.11.2016, 12.01.2017, 27.02.2017 को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये गये । इसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2017 को निर्णय पारित किया गया । इस प्रकार अपीलार्थी अतिक्रमी का यह कथन गलत हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलार्थी ने सेटलमेण्ट से पूर्व मकान निर्मित करना बताया हैं , जिसके संबंध में पत्रावली के परीक्षण से किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना नहीं पाया जाता हैं । पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड से अतिक्रमण स्थल गे.मु. रास्ते की भूमि होकर आर.टी.ए. 1955 की धारा 16 अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि हैं, जिस पर अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थी ने अपील मेमों में स्वयं की आराजियात पर मकान निर्माण हेतु अंकित किया हैं, परन्तु कितने क्षेत्रफल पर मकान निर्माण किया गया हैं? एवं भूमि संपरिवर्तन के आदेश हैं या नहीं ? इस हेतु कोई दस्तावेज अपीलार्थी ने अपनी अपील के समर्थन में पेश नहीं किये हैं। अपीलार्थी ने ग्राम कुचलवाडा कलां पटवार हल्का उंचा के आ.नं. 1078 रकबा 0.02 बीघा किस्म गे.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 06.03. 2017 को पारित निर्णय अनुसार गे.मु. रास्ते की भूमि से अतिक्रमी अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व शास्ति लगान 0.04 का 50 गुणा 02/–रूपये अधिरोपित कर वसूलने के दण्ड से दण्डित किया गया हैं जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 534/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रतीत नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 534/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

27/2/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा